

न्यायालय: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उज्जैन (म.प्र.)

अतिरिक्त प्रभार आदेश

क्रमांक- 720/2025

उज्जैन, दिनांक-27/09/2025

आपराधिक प्रभार आदेश क्रमांक-252/2025, उज्जैन दिनांक 09/04/2025 में आंशिक संशोधन करते हुए, संबंधित पुलिस द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 के अंतर्गत अभियुक्तगण/साक्षीगण के परीक्षण के संबंध में निम्नानुसार संशोधन किया जा रहा है :-

यह आदेश दिनांक 27/09/2025 से प्रभावशील होगा।

क.	अधिकारी का नाम	आरक्षी केन्द्र
1	2	3
उज्जैन		
1	श्रीमती सारिका भाटी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उज्जैन	1- पंवासा
2	श्रीमती सोनाक्षी चतुर्वेदी शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उज्जैन	1- माधवनगर 2- जी0आर0पी0 उज्जैन,
3	सुश्री दीपिका यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उज्जैन	1- महाकाल, 2- महिला थाना
4	श्रीमती कोमल आंजना सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उज्जैन	-
5	सुश्री अपूर्वा मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उज्जैन	1- नरवर 2- चिमनगंज मण्डी
6	सुश्री सृष्टि पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उज्जैन	1- घटिद्या, 2- नानाखेड़ा,
7	श्रीमती पूजा भदौरिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उज्जैन	1- एस0टी0एफ0 थाना भोपाल की इकाई उज्जैन 2- देवासगेट
8	श्रीमती प्रियंका सोलंकी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उज्जैन	1- जीवाजीगंज, 2- नीलगंगा

9	सुश्री ज्योति फुस्केले, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उज्जैन	1- खाराकुंआ, 2- कोतवाली,
10	सुश्री दिव्यानी सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उज्जैन	1- नागझिरी, 2- चिंतामण गणेश,
11	सुश्री पारूल जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उज्जैन	1- अ०जा०क०, 2- भेरुगढ़
12	श्रीमती शुभांगी जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उज्जैन	—

नोट :-

- 1- तालिका अनुसार दर्शाये गये अधिकारी द्वारा उनके सामने अंकित आरक्षी केन्द्र के धारा 164 द०प्र०सं० के कथन अंकित किए जायेंगे एवं संबंधित मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति/अवकाश पर रहने की दशा में मुख्यालय उज्जैन में अभियोक्त्री/पीड़िता (महिला उत्पीड़न से संबंधित)/साक्षीगण/अभियुक्त के कथन के संबंध में उक्त सूची के कॉलम नंबर 2 में अंकित कमबद्धता अनुसार पदस्थ वरिष्ठ/कनिष्ठ अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जायेगी।
- 2- तहसील मुख्यालयों पर संबंधित मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति/अवकाश पर रहने की दशा में अभियोक्त्री/पीड़िता (महिला उत्पीड़न से संबंधित)/साक्षीगण/अभियुक्त के कथन के संबंध में पूर्व में जारी प्रभार आदेश अनुसार पदस्थ वरिष्ठ/कनिष्ठ प्रभारी अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जायेगी।
- 3- किसी मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति के कारण यदि क्रमानुसार एवं प्रभार अनुसार ऐसे मजिस्ट्रेट पर प्रभार आ जाता है, जिसे संबंधित थाने का क्षेत्राधिकार है, तो क्रमानुसार/प्रभार अनुसार उसके नीचे क्रम वाले मजिस्ट्रेट/प्रभारी अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जावेगी।
- 4- किसी भी अन्य दशा/परिस्थिति में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विशेष आदेश से परिस्थिति अनुसार कथन अंकित किए जाने हेतु वरिष्ठ/कनिष्ठ अधिकारी को नियुक्त कर सकेंगे।

अनुमोदित


(पुनर्चंद्र गुप्ता)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म०प्र०)

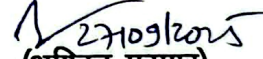

(अश्विन परमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उज्जैन (म०प्र०)

प्रतिलिपि :-

क्रमांक- ३२० / 2025

उज्जैन, दिनांक- 27 / 09 / 2025

- 1- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय उज्जैन की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- 2- माननीय श्री/श्रीमती अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय उज्जैन/खाचरौद/नागदा/महिदपुर/तराना एवं बड़नगर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- 3- श्री/श्रीमती/कु. ए.सी.जे.एम. /जे.एम.एफ.सी.उज्जैन/खाचरौद/नागदा/बड़नगर/तराना/महिदपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 4- अध्यक्ष अभिभाषक संघ उज्जैन/खाचरौद/नागदा/बड़नगर/तराना/महिदपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 5- जिला अभियोजन अधिकारी उज्जैन की ओर इस निर्देश के साथ कि जिले के समस्त आरक्षी केन्द्रों को सूचित करें।
- 6- समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटगण जिला उज्जैन को ई.मेल द्वारा सूचित करने हेतु सिस्टम आफिसर जिला न्यायालय उज्जैन को प्रेषित।


(अश्विन परमार)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उज्जैन (म0प्र0)